ई—मेल

कार्यालय परिवहन आयुक्त
उत्तर प्रदेश।

संख्या– 572 कं0से0 / 2017–77कं0से0(साफ0संशो0) / 2013 लखनऊःदिनांकःमई 29 ,2017

सेवा में,

1. समस्त उप परिवहन आयुक्त(परिक्षेत्र), उत्तर प्रदेश।
2. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन),उत्तर प्रदेश।

विषयः–समर्पित वाहनों / थानों में निरूद्ध वाहनों / नीलामी में कय की गयी वाहनों / चोरी हो गये वाहनों / अस्तित्वहीन हो गये वाहनों के फिटनेस फीस के साथ विलम्ब शुल्क की देयता के सम्बन्ध में।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, इलाहाबाद के पत्र दिनांक 10.04.2017 तथा यात्री / मालकर अधिकारी, सम्भल के पत्र दिनांक 09.05.2017 द्वारा मुख्यालय के संज्ञान में लाया गया है कि विभिन्न कारणों से पुलिस थानों में बंद, चोरी, प्रपत्र समर्पण और अस्तित्व विहीन अवधि में वाहनों के सापेक्ष देय कर का कराधान अधिनियम में समायोजित किए जाने का प्राविधान है। दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 को जारी भारत सरकार की फीस संबंधी अधिसूचना में ऐसे वाहनों के सापेक्ष देय फिटनेस फीस के साथ पचास रूपए प्रतिदिन विलम्ब शुल्क का प्राविधान कर दिया गया है। इस देयता की गणना में बंद अवधि, प्रपत्र समर्पण की अवधि, चोरी की अवधि, विभिन्न कारणों से अस्तित्वहीन होने की अवधि को निकाल दिए जाने के संबंध में कोई प्रावधान अभी नहीं है। अतः ऐसे वाहनों के सम्बन्ध में फिटनेस फीस के साथ विलम्ब शुल्क देयता के सम्बन्ध में कतिपय सैद्धान्तिक और व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही है, भविष्य में विभागीय नीलामी से नये स्वामित्व के अधीन आने वाले वाहनों के सम्बन्ध में स्वामित्व अंतरण के समय यह समस्या हो सकती है।

2– सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उपरोक्त प्रकार की समस्याओं के निराकरण कराने की कार्यवाही का अनुरोध किया गया है।

3– संदर्भित प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त स्थिति स्पष्ट करते हुए निम्न निर्देश दिये जाते हैंः–

(i) वाहन प्रपत्र समर्पित होने अथवा वाहन थाना में निरूद्ध होने अथवा वाहन चोरी होने अथवा वाहन अस्तित्वहीन होने की अवस्थिति का "साक्ष्य सहित" समाधान होने की स्थिति में वैसे वाहन, जिनकी फिटनेस प्रमाण–पत्र की वैधता, वाहन प्रपत्र समर्पण की तिथि अथवा थाने में निरूद्ध होने की तिथि अथवा वाहन चोरी होने की तिथि अथवा वाहन अस्तित्व में न होने की तिथि के पश्चात् समाप्त हुई हो, तो वाहन प्रपत्र समर्पण की वैध अवधि अथवा थाने में निरूद्ध होने की वैध अवधि अथवा वाहन चोरी होने की वैध अवधि अथवा वाहन अस्तित्व में न होने की वैध अवधि, की सीमा तक फिटनेस फीस के संदर्भ में 'विलम्ब शुल्क' नियमानुसार देय नहीं होगा। उक्त सीमा अवधि के उपरान्त की अवधि में विलम्ब होने पर विलम्ब शुल्क देय होगा।

(ii) किन्तु, यदि किसी वाहन के फिटनेस प्रमाण–पत्र की वैधता वाहन प्रपत्र समर्पण की तिथि अथवा थाने में निरूद्ध होने की तिथि अथवा वाहन चोरी होने की तिथि अथवा वाहन अस्तित्व में न होने की तिथि के पूर्व समाप्त हुई हो, तो वैसे वाहन पर फिटनेस फीस के संदर्भ में विलम्ब की पूरी अवधि के लिए 'विलम्ब शुल्क' नियमानुसार देय होगा तथा उपरोक्त बिन्दु (i) में उल्लिखित फिटनेस विलम्ब शुल्क से दी जाने वाली छूट लागू नहीं होगी।

(iii) चूंकि 'वाहन साफ्टवेयर' में उपरोक्त बिन्दु (i) में संदर्भित प्रकरण में देय नहीं पाये जाने वाले फिटनेस फीस के संदर्भ में 'विलम्ब शुल्क' नहीं लिये जाने की व्यवस्था वर्तमान में नहीं है, अतः ऐसे किसी भी प्रकरण का निष्पादन साफ्टवेयर में व्यवस्था होने तक मैनुअल रूप से किया जाएगा।

(iv) उपरोक्त बिन्दु (i) में संदर्भित प्रकरण में देय नहीं पाये जाने वाले फिटनेस फीस के संदर्भ में 'विलम्ब शुल्क' नहीं लिये जाने का 'आदेश' लिखित रूप में संबंधित वाहन के पत्रावली पर संबंधित सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) द्वारा किया जाएगा। यदि किसी कार्यालय में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) की तैनाती न हो और न ही किसी अन्य

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी स्तर के अधिकारी के पास प्रभार हो, तो ऐसी स्थिति में पंजीयन प्राधिकारी के रूप में कार्य कर रहे संभागीय निरीक्षक द्वारा पत्रावली पर लिखित आदेश दिया जाएगा।

(v) संदर्भित प्रकरण में मैनुअल रूप से निस्तारित किये गये ऐसे सभी वाहनों का विवरण सुरक्षित रखने हेतु एक पृथक रजिस्टर बनाया जाएगा, जिसका प्रारूप निम्नवत होगा–

रजिस्टर का प्रारूप

क्रम सं0	वाहन संख्या	'वाहन साफ्टवेयर' द्वारा आगणित फिटनेस फीस विलम्ब शुल्क का विवरण		नियमानुसार देय नहीं पाये गये फिटनेस फीस विलम्ब शुल्क का विवरण			जमा कराये गये विलम्ब शुल्क का विवरण		संबंधित लिपिक के हस्ताक्षर
		विलम्ब की अवधि	कुल 'विलम्ब शुल्क'	विलम्ब की अवधि जिसकी देयता नहीं पायी गयी	'विलम्ब शुल्क' जो देय नहीं पाया गया	देय नहीं पाये जाने का कारण	रसीद सं0	दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(गंगा फल) 25/07/17
अपर परिवहन आयुक्त,
(सड़क सुरक्षा/आईटी),
उत्तर प्रदेश।

पृ0 संख्या– 572(1)कं0से0/2017–समदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर परिवहन आयुक्त (पूर्वी/मध्य/पश्चिमी), उत्तर प्रदेश।

2– समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।

3– समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश।

4– श्री जॉयदीप सोम, सीनियर टेक्टिनकल डायरेक्टर, एनआईसी मुख्यालय, नई दिल्ली।

5–डॉ एल.आर. यादव, सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर, एनआईसी, योजना भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की वाहनों के फिटनेस कराने में विलम्ब शुल्क आरोपण... आदि के उपरोक्त प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए तद्नुसार विलम्ब शुल्क का आगणन न करने के संबंध में वाहन साफ्टवेयर में आवश्यक व्यवस्था करने का कष्ट करे।

(गंगा फल) 25/07/17
अपर परिवहन आयुक्त,
(सड़क सुरक्षा/आईटी),
उत्तर प्रदेश।